जी.सी.एम.एस.नं. ....

FORM No. III (प्रारूप संख्या-3)

फर्द अहकाम

(नियम 26)

ज अदालत .... मुकाम ....

करणसिंह .... बनाम चन्द्रभान सिंह ....

क़िस्म मुकदमा .... नम्बर .... वर्ष ....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	11/1/25 पत्रावली पेश हुई। अभिभावक संघ ने आज अदालती कार्य का स्थगन कर रखा हैं। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 28/2/25 को पेश हो।	
	28/02/2025 पत्रावली पेश हुई। अभिभावक संघ ने आज अदालती कार्य का स्थगन कर रखा हैं। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 03/06/25 को पेश हो।	
	03/06/2025 वकुलाय उप०। प्रकरण में बहस वकुलाय उभयपक्ष सुनी गयी। बास्ते आदेश मिसल दिनांक 13/06/2025 को पेश हो।	
13/06/2025	वास्ते आदेश मिसल आज पेश हुई। वकुलाय उप0। प्रकरण में बहस वकुलाय उभयपक्ष पूर्व में सुनी जा चुकी हैं। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड, पेशशुदा जवाब दावा व संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया एवम् बहस वकुलाय उभयपक्ष पर सगौर मनन किया गया जिससे वकील वादी का वादपत्र स्वीकार फरमाने योग्य पाया जाने पर न्यायहित में स्वीकार किया	

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Yadav
Date: 2025.07.11 13:16:44
Reason: SelfAttested

जाता हैं। निर्णय मेरे द्वारा पृथक् से लिखवाया जाकर शामिल मिसल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सरे ईजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajveer Si
Yadav
Date: 2025.07.11 13:16:44 IS
Reason: SelfAttested

डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी** मुकाम **नीमकाथाना (सीकर)**
बइजलास **राजवीर सिंह यादव R.A.S.**

1. करण सिंह पुत्र अजीत सिंह जाति राजपूत निवासी तालाब रोड़, नीमकाथाना जिला सीकर राज.।

–वादी

बनाम

1. चन्दभान सिंह पुत्र श्री स्व0 हीरूसिंह वगैरह

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. 350 सन् 2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू **राजवीर सिंह यादव आर.ए.एस** व हाजिरी **श्री होशियार सिंह बड़सरा** मिनजानिब मुद्दई रूबरू श्री राजेन्द्र सिंह तंवर मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि **तन ग्राम बल्लभदासपुरा पटवार हल्का गांवड़ी तहसील नीमकाथाना जिला सीकर मे अवस्थित भूमि खसरा नम्बर ख0नं0 1 व 2 के नवीन ख0नं0 1, 2, 3 में से प्रतिवादीगण सं0 1 ता 4 के नाम दर्ज हिस्से में से खसरा नं0 1 रकबा 1.010 है0 में से 0.0210 है0 व प्रतिवादीगण सं0 5 व 6 के नाम दर्ज हिस्सा 2/8 सम्पूर्ण रकबा 0.2525 है0 एवं भूमि ख0 नं0 2 व 3 रकबा 5.03 है0 में से प्रतिवादीगण सं0 1 ता 4 के नाम दर्ज 1/8 हिस्से में से 0.2620 है0 व प्रतिवादीगण सं0 5 व 6 के नाम दर्ज 2/8 हिस्से में से 0.9614 है0 (कुल विक्रय रकबा 1.4968 है0) का राजस्व अभिलेख में पंजीकृत विलेख दिनांक 21.01.2013 के अनुसार वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो।** .निज......................मुबलिग..बाबत.......
....................................खर्चा इस मुकदमें के मय सूद बशरह.........फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 13 माह 06 सन् 2025 को जारी की गई।

(मुहर) अधिकारी

दस्तखत.............
ओहदा................

(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (राज.)

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय		
बाबत इजराय			हुक्मनामा		
हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.07.11 13:16:44 IST
Reason: SelfAttested

खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।